बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक – प्र2/बोर्ड–विविध–8/2007 पटना, दिनांक –

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः **नवीनगर पावर जेनेरेटिंग कम्पनी द्वारा नवीनगर में 3X660 मेगावाट ताप विद्युत गृह के निर्माण हेतु पुनरीक्षित लागत 15131.67 करोड़ रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड वर्तमान में बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 को हिस्सा पूंजी की स्वीकृत पुनरीक्षित राशि 2269.75 करोड़ रूपये के विरूद्ध पूर्व में उपलब्ध करायी गयी राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2017–18 में 33.22 करोड़ (तेतीस करोड़ बाईस लाख) रूपये बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेशः स्वीकृत।

नवीनगर पावर जेनेरेटिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड (बिहार राज्य विद्युत बोर्ड वर्त्तमान में बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड एवं एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड का 50:50 संयुक्त उपक्रम) के नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है जिसकी कुल पुनरीक्षित लागत 15131.67 करोड़ (पन्द्रह हजार एक सौ इकतीस करोड़ सड़सठ लाख) रूपये है। इस परियोजना का वित्त पोषण 30 प्रतिशत हिस्सा पूँजी एवं 70 प्रतिशत ऋण द्वारा उपलब्ध किया जाना है। इस प्रकार इस परियोजना की कुल हिस्सा पूँजी 4539.501 करोड़ रूपये होती है।

2. विभागीय राज्यादेश संख्या 1502, दिनांक 26.03.2011 के द्वारा नवीनगर पावर जेनेरेटिंग कम्पनी द्वारा नवीनगर में 3X660 मेगावाट का ताप विद्युत केन्द्र के निर्मान हेतु अनुमानित लागत 12964.57 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति, हिस्सापूँजी की शेष राशि 1666.69 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना के योजनावद्ध गतिविधियों को पूरा करने हेतु परियोजना की कुल पुनरीक्षित राशि 4539.501 करोड़ रूपये का 50 प्रतिशत 2269.75 करोड़ रूपये बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड को हिस्सा पूँजी की आवश्यकता होती है। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड वर्त्तमान में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड की अनुषंगी कम्पनी बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड को हिस्सा पूँजी की कुल राशि में से राज्य सरकार द्वारा राज्यादेश संख्या 2846 दिनांक 29.07.2009 द्वारा 30.00 करोड़ रूपये, राज्यादेश संख्या 3136 दिनांक 19.08.09 द्वारा 65.00 करोड़ रूपये, राज्यादेश संख्या 1343 दिनांक 26.03.10 द्वारा 33.00 करोड़ रूपये, राज्यादेश संख्या 3297 दिनांक 11.08.10 द्वारा 150.00 करोड़ रूपये एवं राज्यादेश संख्या 1502 दिनांक 26.03.2011 द्वारा 158.00 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी जा चुकी है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2010–11 तक कुल 436.00 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी जा चुकी है।

3. वित्तीय वर्ष 2011–12 में पुनः राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के हिस्सा पूँजी की शेष राशि 1508.686 करोड़ रुपये के कार्यान्वयन हेतु राज्यादेश संख्या 3532 दिनांक 05.05.11 द्वारा राज्य योजना से 187.35 (एक सौ सतासी करोड़ पैंतीस लाख) करोड़ रुपये एवं वित्तीय वर्ष 2012–13 में राज्यादेश संख्या– 1537 दिनांक 13.03.2013 द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड वर्तमान में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड की अनुषंगी कम्पनी को 90.00 (नब्बे करोड़) करोड़ रूपये उपलब्ध कराये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्यादेश संख्या– 0986 दिनांक 21.03.2016 द्वारा 76.00 करोड़ रूपये, वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्यादेश संख्या 1386 दिनांक 02.05.2016 द्वारा 400 करोड़ रूपये, राज्यादेश संख्या– 911 दिनांक– 15.03.2017 द्वारा 85.67 करोड़ रूपये, राज्यादेश संख्या 958 दिनांक 18.03.2017 के द्वारा 79.00 करोड़ रूपये एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्यादेश संख्या 1419, दिनांक 27.04.2017 के द्वारा 350.00 करोड़ रूपये अर्थात कुल 1704.02 करोड़ रूपये बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराई गई राशि 1704.02 करोड़ के अतिरिक्त 153.90 करोड़ रूपये की माँग की गई है।

5. नवीनगर पावर जेनेरेटिंग कम्पनी द्वारा नवीनगर में 3X660 मेगावाट ताप विद्युत गृह के निर्माण हेतु स्वीकृत लागत 12964.57 करोड़ रूपये के बदले पुनरीक्षित लागत 15131.67 करोड़ (पन्द्रह हजार एक सौ इकतीस करोड़ सड़सठ लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2010–11 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड वर्तमान में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के हिस्सा पूँजी की

स्वीकृत राशि 1944.686 करोड़ रूपये के बदले पुनरीक्षित हिस्सापूँजी 2269.75 करोड़ (बाईस सौ उन्हत्तर करोड़ पचहतर लाख) रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई।

6. उक्त आलोक में नवीनगर पावर जेनेरेटिंग कम्पनी द्वारा नवीनगर में 3X660 मेगावाट ताप विद्युत गृह के निर्माण हेतु पुनरीक्षित लागत 15131.67 करोड़ रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड वर्तमान में बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 को हिस्सा पूंजी की स्वीकृत पुनरीक्षित राशि 2269.75 करोड़ रूपये के विरूद्ध पूर्व में उपलब्ध करायी गयी राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2017–18 में 33.22 करोड़ (तेतीस करोड़ बाईस लाख) रूपये बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

7. 3.6040 करोड़ (तीन करोड़ साठ लाख चालीस हजार) रूपये मुख्य शीर्ष 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्य शीर्ष–02 ताप विद्युत उत्पादन, लघुशीर्ष– 190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश मांग सं0–10 – उपशीर्ष–0102 बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि0 की परियोजना विपत्र कोड–10–4801.02.190.0102 विषय शीर्ष–5401–निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

8. 29.6160 करोड़ (उनतीस करोड़ एकसठ लाख साठ हजार) रूपये मुख्य शीर्ष 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्य शीर्ष–02 ताप विद्युत उत्पादन, लघुशीर्ष– 796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, मांग सं0–10– उपशीर्ष–0101 बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि0 की परियोजना विपत्र कोड–10–4801027960101 विषय शीर्ष–5401–निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

9. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह –निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल०खाता) के मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय निधियों की जमा उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120– अन्य निधियाँ उपशीर्ष–0045–बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड व्यय शीर्ष एल० 8448001200045 एवं प्राप्तियाँ– के०–8448001200045 में जमा की जायेगी।

10. बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गये पी०एल०खाता संख्या–PLA273 से की जायेगी।

11. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12. उक्त योजना की पुनरीक्षित लागत की स्वीकृति पर सक्षम प्राधिकार माननीय मंत्री का अनुमोदन संचिका संख्या– प्र2/बोर्ड–विविध–8/2007 के पृष्ठ संख्या 158/टि0 पर दिनांक10.09.2017 को प्राप्त है।

13. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहाकर की सहमति संचिका संख्या– प्र2/बोर्ड–विविध–8/2007 के पृष्ठ संख्या– 165/टि0 पर दिनांक–07.02.2018 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(प्रत्यय अमृत)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक प्र2/बोर्ड–विविध–8/2007______ **दिनांक** ______

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक प्र2/बोर्ड–विविध–8/2007 493 **दिनांक** 19/02/2018

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/ संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक/बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि0/पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।